संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021/401/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2021

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-182/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 22,10,400/- (रू0 बाईस लाख दस हजार चार सौ मात्र) (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पाँच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है | कोविड-19 के दृष्टिगत विदेश यात्रा पर जारी प्रतिबन्धों के दृष्टिगत विदेश की सिमुलेटर ट्रेनिंग निदेशालय के हेलीकाप्टर पर पूर्ण कराये जाने हेतु डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विदेश में उपलब्ध सिमुलेटर ट्रेनिंग में 31 दिसम्बर, 2020 तक ड्यू हो रही ट्रेनिंग पर छूट प्रदान की गयी है। कै0 सुनील कौरा तथा कै0जी0एस0 पड्डा की सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 24560.00 यूरो (12280.00 यूरो प्रति पायलट की दर से) का भुगतान अग्रिम रूप से मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को किया जा चुका है | अतः प्रशिक्षण दाता फर्म द्वारा कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग भविष्य में माह मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) की सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुल्क में सम्मिलित किए जाने हेतु फर्म द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम रूप से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग भविष्य में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि जो कि कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस की गयी है, को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जानी है |

2- अतः श्री राज्यपाल कोरोनाजन्य विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा को दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 से 09 दिसम्बर, 2020 तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्या 52/2020/1357(4)-छप्पन-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 54/2020/1357-छप्पन-2020-14/(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या 55/2020/1357(2)/छप्पन 2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एतदद्वारा निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षणदाता कंपनी मेसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के एवज में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 24560 यूरो के क्रेडिट मैमो का उपयोग मार्च व अप्रैल, 2021 में कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण में किये जाने तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा को अग्रिम रूप से भुगतान किये गए विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु कै0 सुनील कौरा तथा कै0 जी0एस0 पड्डा द्वारा चेक के माध्यम से वापस रू0 5,31,400/- (रू0 पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं |

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441(1)/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-37/2021/401(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।